उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1975)

THE UTTAR PRADESH COURT FEES (PAYMENT IN CASH) ACT, 1975

(U.P. Act No. 9 of 1975)

उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975[1]

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9, 1975)

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 25 फरवरी, 1975 तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 12 मार्च, 1975 की बैठक मे स्वीकृत किया।

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अन्तर्गत राज्यपाल ने दिनांक 23 मार्च, 1975 ई, को अनुमति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 25 मार्च, 1975 ई0 को प्रकाशित हुआ।]

न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 के अधीन देय न्यायालय फीस का कतिपय परिस्थितियों में नकद संदाय करने की व्यवस्था करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के छब्बीसवें वर्ष में निम्निलिखित अधिनियम, बनाया जाता है––

संक्षिप्त नाम तथा विस्तार

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अधिनियम, 1975 कहलायेगा।

(2) इसका विस्तार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा।

अधिनियम संख्या 7, 1870 से नई धारा 25–क का बढ़ाया जाना

2–न्यायालय फीस अधिनियम, 1870 की धारा 25 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये, अर्थात –

न्यायालय फीस का नकद संदाय

"25–क–(1) धारा 25 में किसी बात के होते हुये भी, अपेक्षित अभिधान के न्यायालय फीस स्टाम्पों की अस्थायी कमी होने की दशा में, किसी दस्तावेज़ पर पचास रूपये से अनधिक देय न्यायालय फीस का भुगतान, ऐसे दस्तावेज प्राप्त करने वाले उच्च न्यायालय या अधीनस्थ न्यायालय के अथवा प्राधिकारी या अधिकारी के ऐसे अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक को, जिसे ऐसे न्यायालय या प्राधिकारी द्वारा विर्निदष्ट किया जाय, नकद धनराशी के रूप में किया जा सकेगा, और ऐसा अधीनस्थ अधिकारी या लिपिक उसके लिये एक रसीद देगा, जिसे सम्बद्ध दस्तावेज पर चिपकाया जायगा और इस प्रकार रसीद को चिपकाये जाने का वही प्रभाव होगा मानों उतनी रकम का न्यायालय फीस इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से संदत्त कर दिया गया है।

(2) न्यायालय फीस के बदले में नकद धनराशि प्राप्त करने वाला लिपिक या अधिकारी उसे न्यायिक स्टाम्प के राजस्व के रूप में, शीर्षक "0–30 स्टाम्प तथा रजिस्ट्रीकरण फीस" के अर्न्तगत, यथास्थिति, कोषागार या बैंक में जमा करेगा।

(3) राज्य सरकार इस प्रकार नकद धनराशि के रूप में संदत्त रकम का लेखा रखने के सम्बन्ध में सामान्य आदेश द्वारा नियम बना सकेगी।

(4) न्यायालय फीस स्टाम्प को पंच करने तथा रद्द करने से सम्बन्धित नियम तथा आदेश, आवश्यक परिवर्तनों सहित, उपधारा (1) में निर्दिष्ट रसीद के सम्बन्ध में लागू होंगे।

---

1. उद्देश्य व कारणों के लिये कृप्या दिनांक 28 फरवरी, 1975 ई0 का सरकारी असाधारण गजट देखिये।

(5) ऐसी ही परिस्थितियों में किसी दस्तावेज पर पचास रूपये से अधिक के देय न्यायालय फीस की दशा में, उसका भुगतान कोषागार में (जिसके अन्तर्गत उप–कोषागार भी है) किया जा सकेगा, और ऐसा भुगतान किये जाने पर कोषागार का प्रभारी अधिकारी इस प्रकार नकद धनराशि से रूप में संदत्त न्यायालय फीस की रकम को दस्तावेज पर पृष्ठांकित करके प्रमाणित करेगा और ऐसे पृष्ठांकन का वही प्रभाव होगा मानों न्यायालय फीस का भुगतान इस अधिनियम के अनुसार सम्यक् रूप से कर दिया गया है ।

निरसन तथा अपवाद

3–(1) उत्तर प्रदेश न्यायालय फीस (नकद संदाय) अध्यादेश, 1975, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुये भी उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या किया गया कोई कार्य इस अधिनियम के अधीन की गई बात या किया गया कार्य समझा जायेगा मानो यह अधिनियम 31 जनवरी, 1975 को प्रवृत्त हो गया था ।